



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

(आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान)

क्रमांक एफ 89(18)उमावि/उ.सं./2021-00187

जयपुर, दिनांक:

आदेश

रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक पी.ए./आर.जी./8()/2025/2884 दिनांक 07.05.2025 एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार की अभिशंषा अनुसार जिला जज संवर्ग के अधिकारी श्री राजेश गुप्ता (RJ00344) को पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुबीर कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार।
8. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. महालेखापरीक्षक (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
11. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. Shri Rajesh Gupta (RJ00344), an officer in the District Judge Cadre.
13. लेखाधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षा पत्रिका।

Signature valid



Digitally signed by Subir Kumar
Designation: Principal Secretary To
Government
Date: 2025.05.10 15:01:24 IST
Reason: Approved